कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खंड प्रथम उदयपुर

Email-eephedproject1udr@gmail.com

क्रमांक 512

दिनांक 4/10/2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

उदयपुर

विषय :- प्रस्ताव AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPSAL NO FP/ RJ/WATER /151001/2022 प्रस्ताव के सम्बन्ध में

सन्दर्भ :- पत्र क्रमांक एफ 14 ()/ तकनिकी/ उ.व. स./ 2023 -2024 /5760 दिनांक 31 .07 .2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR PROPOSAL NO FP/ RJ/WATER/151001/2022 का परिक्षण करने के उपरांत लगाये गये आक्षेपों कि पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है ।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युतर
1.	संदर्भित पत्र से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की चारों प्रतियों में सलग्न किसी भी दस्तावेज पर आप द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए है । प्रस्ताव की चारों प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्ताव में सलग्न सभी दस्तावेजों पर मय मोहर आपके हस्ताक्षर करावें ।	प्रस्ताव की सभी प्रतियों में सभी दस्तावेजों पर मय मोहर हस्ताक्षर कर दिए गये है ।
2.	प्रस्ताव में सलग्न सभी दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करावें ।	प्रस्ताव में संलग्न सभी दस्तावेजों पर अनुक्रमाणिका के अनुसार पृष्ठ क्रमांक अंकित कर दिए गये है।

Scanned with CamScanner

3.	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का औचित्यपुर्ण विवरण प्रस्तुत करें ।	पूर्व में पाइप लाइन जोड़ने बिछाने हेतु 1.30 मीटर चोडाई ली गई गई थी (जिसके अनुसार 2.1137 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित था), वर्तमान में तकनिकी दृष्टि से पाइप लाइन जोड़ने बिछाने हेतु 1.50 मीटर चोडाई ली गई गई है जिसके अनुसार 2.498 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन करवाया जाना प्रस्तावित है
4.	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को सम्बंधित राजस्व ग्राम के वास्तविक पैमाने के नक़्शे पर चिन्हित कर प्रस्तुत करें ।	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को सम्बंधित राजस्व ग्राम के वास्तविक पैमाने के नक़्शे पर चिन्हित कर दिया गया है
5.	प्रस्ताव में सलग्न की गई जमाबंदी में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से सम्बंधित खसरों को हाईलाइटर से हाईलाइट करावें ।	प्रस्ताव में सलग्न की गई जमाबंदी में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से सम्बंधित खसरों को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया है ।
6.	प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित कार्य में वन भूमि के अलावा 4.55 हेक्टेयर भी उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है । उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131 & 2014 में दिनांक 23 .02 .2015 को दिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी अधिसूचित वन भूमि जिसको वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने से पूर्व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर वानिकी प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया हो तो इस प्रकार के आवंटन स्वतः निरस्ती योग्य है एवं प्रारम्भ से ही प्रभावहीन है तथा ऐसी भूमि को गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु नियमानुसार प्रत्यावर्तन कराया जाना आवश्यक	वांछित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-6 पर संलग्न कर प्रस्तुत है

Scanned with CamScanner

	होगा । इसके अलावा यदि उक्त परियोजना के निर्माण में ऐसी कोई भूमि सम्मिलित की गई हो जिसका स्वामित्व वन विभाग का तो नहीं है किन्तु जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202 & 95 में दिनांक 12 .12 .1996 को दिए गये निर्णय के अनुसार वन भूमि के रूप में परिभाषित किया गया हो तो ऐसी भुई को भी गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने हेतु नियमानुसार प्रत्यावर्तन कराया जाना आवश्यक होगा ।अतः इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, की प्रस्ताव में सम्मिलित 4 .55 हेक्टेयर गैर वन भूमि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131 &2014 में दिनांक 23 -02 -2015 को दिए गये निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202 & 95 में दिनांक 12 -12 -1996 को दिए गये निर्णय के अनुसार वन भूमि की परिभाषा में नहीं आती है एवं इसका प्रत्यावर्तन करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।	
7.	आप द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5670 -71 दिनांक 18 -04 -2023 के अनुसार प्रस्ताव में पाई गई कमियों की बिंदुवार पालना प्रस्तुत नहीं की जाकर संदर्भित पत्र से मात्र यह अवगत करा दिया गया है कि आक्षेपों को दूर कर प्रस्ताव ऑनलाइन करदिया गया है ।जो कि उचित नहीं है । आपको निर्देशित किया जाता है कि संशोधन प्रस्ताव में नॉडल कार्यालय के उक्त पत्र में वर्णित बिंदु संख्या 01 से 12 के अनुसार पाई गई कमियों कि पूर्ति कर लिए जाने कि पुष्टि हेतु आप द्वारा कि गई कार्यवाही, प्रस्ताव में संलग्न किये गए दस्तावेजों का पृष्ठ क्रमांक अंकित करते हुए बिंदुवार पालना प्रस्तुत करें ।	2.4938 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत प्रस्तुत किये गए संशोधित प्रस्ताव में पूर्व में लगाये गए आक्षेपों की पुनरावृत्ति नहीं होना सुनिश्चित किया गया है ।

Scanned with CamScanner

8.	उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर, उदयपुर के पृथक-पृथक आदेशों के द्वारा राजस्व ग्राम मामादेव तहसील कुराबड़ के आरजी नं 1217 में उपलब्ध कुल रकबा 408740 हेक्टेयर में क्रमश; 1 .9637 हेक्टेयर एवं 0 .3801 हेक्टेयर कुल 2 .3438 हेक्टेयर गैर वनभूमि आरक्षित की गई है जो की आपस में लगती हुई है । अतः आप द्वारा पृथक -पृथक अपलोड की गई केएमएल के स्थान पर कुल 2 .3438 हेक्टेयर की एक केएमएल फाईल अपलोड करावें । उक्त प्रकरण में तहसील कुराबड़ के राजस्व ग्राम मामादेव में आरक्षित 2 .3438 हेक्टेयर एवं तहसील खेरवाड़ा के विकास नगर में वन विभाग हेतु आरक्षित 0 .15 हेक्टेयर गैर वन भूमि के नामांतरण प्रमाण- पत्र एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें ।	निर्देशानुसार 2 .3438 हेक्टेयर की एक केएमएल फाईल अपलोड कर दी गई है, साथ ही विकास नगर में आवंटित 0.15 हेक्टेयर गेर वनभूमि की के.एम्.एल. फाइल भि अपलोड कर दी गई है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 6 प्रतियों में ।

मुकेश

(मुकेश कुमार मोड़)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खंड प्रथम उदयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खंड प्रथम उदयपुर

Email-eephedproject1udr@gmail.com

Title of the project:- AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR.

Proposal No.:- FP/ RJ/WATER /151001/2022

प्रमाण पत्र

प्रस्ताव में सम्मिलित 2.4938 हेक्टेयर गैर वन भूमि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या 131 &2014 में दिनांक 23-02-2015 को दिए गये निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/95 में दिनांक 12-12-1996 को दिए गये निर्णय के अनुसार वन भूमि की परिभाषा में नहीं आती है, एवं इसका प्रत्यावर्तन करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(मुकेश कुमार मोड़)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खंड प्रथम उदयपुर

दिनांक:-04.10.2023

Scanned with CamScanner